

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

जयनारायण बनाम लक्ष्मीदत्त वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:-०५ / 2020

		नम्बर व क्रमांक अहकाम जो शुद्ध करके जारी में आये दिनांक
08.10.2020	<p>वादी वकील श्री सोहन लाल सैना एड० ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2020 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 06.11.20 को पेश हो।</p>	<p>10922 8-10-20</p>
17.06.2021	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1123 दिनांक 13.11.2020 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>अरोबर इजराय की पालना नामा सं. 1123/डि.13.11.2020 के द्वारा की जा चुकी है। 12.02.2021 राजकीय पैरोकार, ना तहसीलदार श्रीमाधोपुर</p>

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

